न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3700–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–8–13 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद अपील प्रकरण क्रमांक 130/अपील/2011–12.

बाबुलाल वल्द नारायण
निवासी ताईखेड़ा
तहसील मुलताई जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती मंगली बेवा चन्दन
निवासी ताईखेड़ा
तहसील मुलताई जिला बैतूल .....अनावेदिका

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजेश कौशिक, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/10/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–8–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक नायब तहसीलदार वृत मासोद मुलताई के समक्ष ग्राम ताईखेड़ा स्थित भूमि कुल सर्वे नम्बर 6 कुल रकबा 4.562 हेक्टेयर पर व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/अ–6/2009–10 दर्ज कर दिनांक 12–4–10 को आदेश पारित किया जाकर अनावेदिका का नाम प्रश्नाधीन भूमि से कम किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–4–2012 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के

विरूद्ध आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 29–8–13 को आदेश पारित किया जाकर द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 30–8–2016 को उभय पक्ष को एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था, परन्तु आवेदक के अभिभाषक द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदिका की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में किया जा रहा है । आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) नायब तहसीलदार द्वारा व्यवहार वाद कमांक 126 अ/94 में पारित आदेश दिनांक 31–8–1999 के परिपालन में आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) नायब तहसीलदार के समक्ष अनावेदिका सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रही है, और उसके द्वारा सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील अवधि बाह्य होने एवं पक्षकारों के असंयोजन के कारण निरस्त किये जाने योग्य थी, जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है ।

(3) एक बार तहसील व्यवहार न्यायालय की डिक्री के पालन में राजस्व न्यायालय द्वारा बटवारा स्वीकृत कर लिया गया था, अतः पुनः उसे नहीं खोला जा सकता है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका को व्यवहार न्यायालय में जाने के निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार पंजीकृत हक त्याग को नहीं मानने में गंभीर भूल की गई है, क्योंकि उक्त धारा हिन्दु कुटुम्ब का मौखिक व्यवस्थापन अथवा मौखिक रूप से निष्पादित लेख पर लागू नहीं होता है ।

तर्कों के समर्थन में 2009 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 44 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है, अतः प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष अपील प्रचलन योग्य नहीं थी, जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में अनावेदिका को बिना सूचना दिये एकपक्षीय आदेश पारित करा लिया गया था, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) पूर्व में पारित नामांतरण आदेश के विरूद्ध किसी भी पक्षकार द्वारा कोई पुनर्विलोकन प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः ऐसा आदेश अंतिम हो जाता है ।

(4) व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 31–10–1999 को डिक्री पारित कर मौजा चिकलखापा की सम्पूर्ण भूमि एवं ग्राम ताईखेड़ा की करीब 6 एकड़ भूमि में अनावेदिका एवं उसकी पुत्र सुन्दरलाल का हक एवं स्वामित्व माना है, जिसके पश्चात आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमियों में से दिनांक 31–11–2007 को कुछ भूमियों का विक्रय कर दिया गया है, इसलिए प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका का नाम दर्ज किया गया था ।

(5) तहसील न्यायालय के समक्ष पटवारी द्वारा मौके की स्थिति देखे बिना आवेदक के प्रभाव में आकर अनावेदिका एवं आवेदक की बहनों का नाम जोड़े जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जबकि सर्वे क्रमांक 43 में से 0.455 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 163/1 रकबा 0.697 हेक्टेयर पर अनावेदिका एवं उसका पोत्र विमलेश का कब्जा चला आ रहा है ।

तर्कों के समर्थन में 2000 आर.एन. 52 एवं 2008 आर.एन. 357 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों एवं अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाय गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर एक तरफ तो प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सर्वप्रथम तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें, वहीं दूसरी ओर आवेदक को निर्देश दिये गये हैं कि बटवारा आदेश में यदि राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने में कोई त्रुटि हुई है तो पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उपचार प्राप्त करें । इससे ऐसा परिलक्षित होता है कि चूंकि संहिता में हुए संशोधन के फलस्वप अपीलीय प्राधिकारी

को प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं कर अंतिम आदेश पारित करना है । उक्त प्रावधान से बचने के लिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वादगस्त आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है, परन्तु आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए आयुक्त का आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सभी हितबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य लेकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–8–13 एवं अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–4–2012 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर